

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 10/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरौही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री नितेश अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी आबूरोड, तहसील आबूरोड, जिला-सिरौही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरौही
2. अप्रार्थी स्वयं

निर्णय


दिनांक 10.4.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.9.2018 को जिला रसद अधिकारी सिरौही के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी, सिरौही द्वारा अप्रार्थी के दुकान पर जाँच करने पहुँचने पर दुकान में 15.7 किलो के 1 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 19.1 किलो के 1 गैस सिलेण्डर का उपयोग छोटे गैस सिलेण्डरों को रिफिल करने का अवैध कृत्य वाणिज्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त 2 एवं 5 किलो के 3 गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।



प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया ।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती निलीमा शर्मा, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरौही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है ।


जिला कलेक्टर, सिरौही

जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।


जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जावे ।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाये जाने का निवेदन किया ।

मैने पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उसमें भरी हुई गैस को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं । जिला रसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिये गये 5 गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवा कर उससे प्राप्त राशि उचित लेखा मद में राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करे एवं खाली गैस सिलेण्डर जो गैस कम्पनी की अमानत है को संबंधित गैस कम्पनी इण्डेन को 2 एवं पेट्रो को 3 सिलेण्डर नियमानुसार सुपुर्द कराने की कार्यवाही करे ।

निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को सारे इजलास सुनाया गया ।




(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरौही